

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक)
जमवारामगढ, जिला जयपुर
(बइजलास श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस.)

मिसल नम्बर
87/2020

तारिख दायर
11/08/2020

तारिख फैसला
31.8.2023

—: उनवान :-

चंबू उर्फ सुनीता पत्नि हनुमान शरण, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 844, रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....वादियां

बनाम

1. गोविन्दशरण पुत्र गणेशनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम निम्भी, तह0 जमवारामगढ।
2. मोहनलाल पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
3. दुर्गालाल पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
4. भगवानसहाय पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
5. नरेश कुमार पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
6. गुलाबचन्द पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी शाहपुराबाग, आमेर रोड, जिला जयपुर।
7. भागीरथ पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी शाहपुराबाग, आमेर रोड, जिला जयपुर।
8. खेमचन्द पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी शाहपुराबाग, आमेर रोड, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिए उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय जमवारामगढ, जयपुर।

..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

—: निर्णय :-

वादी ने एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम निम्भी, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ के आराजी भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 4.4600 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, स्थित हैं। जिसमें वादिया का 1/4 हिस्सा है। शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज खातेदारी हैं। वादिया अपने हकाधिकारो की खातेदारी आराजीयात को डवलवप करना चाहती हैं, इसलिये वादिया को विधिक बटवारे की अतिआवश्यकता हैं, जिसके लिये प्रतिवादीगण को अनेक बार विधिक बटवारा करवाने का निवेदन किया, किन्तु प्रतिवादीगण बटवारा के लिये सहमति नहीं दे रहे हैं। इसलिए वादिया के लिये उक्त वाद अपनी अभिलिखित खातेदारी के लिये विधिक बटवारा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण डिग्री किया जाकर वाके ग्राम निम्भी, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 4.4600 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, का बटवारा वादपत्र के मद नम्बर 3 में अंकित हिस्सानुसार विभाजन किया जावे, जिसके अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम किया जावे।

31/8/23
जयपुर, जिला जयपुर (फा.ट्रेक)
जयपुर न्यायालय

(2)

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी करवाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना सहमति जवाब पेश कर तकासमा किये जाने का निवेदन किया, तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 की ओर से अधिवक्ता यूटी पेश की, जिनको आगामी तारिख पेशी पर वकालतनामा पेश करने की हिदायत दी। प्रतिवादी संख्या 2,3,4,5 बावजूद रजिस्टर्ड तलबी के लगातार अनुपस्थित रहते आये हैं, तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 को यूटी. प्रस्तुत कर्ता अधिवक्ता को अवसर देने के उपरान्त भी वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 को न्यायालय में बार-बार आवाजे लगाने पर भी अनुपस्थित रहने के कारण इनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस सुनने व पत्रावली का अधोपान अवलोकन करने पर वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर वाद में प्राथमिक डिक्की पारित की गई तथा भूमिधारी (तहसीलदार) जमवारामगढ को निर्देश दिये गये कि, राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारान उभयपक्ष को सूचित करते हुए, उनकी उपस्थिति में कुर्रैजात के प्रस्ताव तैयार कर कुर्रैजात रिपोर्ट तीन-तीन प्रतियों में अलग-अलग रंग भरकर भिजवाना सुनिश्चित करें, खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। प्राथमिक डिक्की जारी हों। निर्णय व प्राथमिक डिक्की की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।"

अतः दिनांक 13.10.2022 को वाद में प्राथमिक डिक्की जारी की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को कुर्रैजात हेतु लिखा गया, जिसमें तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एल.आर./2023/531 दिनांक 16.02.2023 द्वारा कुर्रैजात रिपोर्ट मय नक्शा पेश की है। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार निम्न प्रकार बटवारा प्रस्तुत तैयार किया गया है :-

वर्तमान जमाबन्दी अनुसार नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर
चम्पू उर्फ सुनिता पत्नि हनुमानशरण हि. 1/4, गोविन्दशरण पुत्र गणेशनारायण हि. 1/4, महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर, खेमचन्द, गुलाबचन्द, भागीरथ पिता शंकरलाल हि. 1/4, माली सा. शाहपुरा बाग, आमेर रोड, जयपुर एवं दूर्गालाल, नरेश कुमार, भगवानसहाय, मोहनलाल पिता केशरलाल हि. 1/4 जाति माली सा. रामनगर, सोडाला, जयपुर खातेदार।	38	0.0100 हैक्टेयर
	39	0.0100 हैक्टेयर
	40	4.4600 हैक्टेयर

कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार प्राप्त प्रस्तावित प्रविष्टी

क्रम सं.	नाम प्रस्तावित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर
1.	चम्पू उर्फ सुनिता पत्नि हनुमानशरण महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर,	40/1	1.1200 है.
2.	गोविन्दशरण पुत्र गणेशनारायण महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर,	39 40/1	0.0100 है. 1.1100 है.
		किता 02	1.1200 है.
3.	खेमचन्द, गुलाबचन्द, भागीरथ पिता शंकरलाल हि. 1/2, माली सा. शाहपुरा बाग, आमेर रोड, जयपुर एवं दूर्गालाल, नरेश कुमार, भगवानसहाय, मोहनलाल पिता केशरलाल हि. 1/2 जाति माली सा. रामनगर, सोडाला, जयपुर खातेदार।	38 40मी. किता 02	0.0100 है. 2.2300 है. 2.2400 है.

(3)

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत बटवारा कुरैजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया, कुरैजात पर बहसस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्षकारान को कुरैजात पर सुनने व कुरैजात का अवलोकन करने पर वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम निम्मी, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ के आराजी भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 4.4600 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, भूमि का बटवारा मुताबिक प्रस्तावित कुरैजात रिपोर्ट निम्न प्रकार स्वीकार किया जाता है -

क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर
1.	चम्पू उर्फ सुनिता पत्नि हनुमानशरण महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर,	40/1	1.1200 है.
2.	गोविन्दशरण पुत्र गणेशनारायण महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर,	39 40/1	0.0100 है. 1.1100 है.
3.	खेमचन्द, गुलाबचन्द, भागीरथ पिता शंकरलाल हि. 1/2, माली सा. शाहपुरा बाग, आमेर रोड, जयपुर एवं दूर्गालाल, नरेश कुमार, भगवानसहाय, मोहनलाल पिता केशरलाल हि. 1/2 जाति माली सा. रामनगर, सोडाला, जयपुर खातेदार।	38 40मी. किता 02	0.0100 है. 2.2300 है. 2.2400 है.

वाद में पर्चा डिक्री जारी हों, आदेश की प्रति/तहरीर तहसीलदार जमवारामगढ को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। वाद पूर्ति दाखिला दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 31-03-2023 को टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/3/23
(चिमनलाल मीना)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रैक) ट्रैक
जमवारामगढ, जिला जयपुर

डिकी मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक)- जमवारामगढ, (जयपुर)
(बइजलास श्री चिमनलाल मीना आर.ए.एस.)

तारिख दायर
11/08/2020

तारिख फैसला
31-3-2023

-: उनवान :-

चंबू उर्फ सुनीता पत्नि हनुमान शरण, जाति महाजन, निवासी मकान नम्बर 844,
रामनगर, शास्त्री नगर, जयपुर, जिला जयपुर, राजस्थान।

.....वादियां


बनाम

1. गोविन्दशरण पुत्र गणेशनारायण जाति महाजन निवासी ग्राम निम्भी, तह0 जमवारामगढ।
2. मोहनलाल पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
3. दुर्गालाल पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
4. भगवानसहाय पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
5. नरेश कुमार पुत्र केशरलाल जाति माली निवासी रामनगर सोडाला, जिला जयपुर।
6. गुलाबचन्द पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी शाहपुराबाग, आमेर रोड, जिला जयपुर।
7. भागीरथ पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी शाहपुराबाग, आमेर रोड, जिला जयपुर।
8. खेमचन्द पुत्र शंकरलाल जाति माली निवासी शाहपुराबाग, आमेर रोड, जिला जयपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिए उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय जमवारामगढ, जयपुर।

..... प्रतिवादीगण

दावा बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53,188 आर.टी.एक्ट

यह वाद आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी चिमनलाल मीना आर.ए. एस. व हाजिरी एडवोकेट श्री रामकरण शर्मा, एडवोकेट श्री पुष्पेन्द्र शर्मा, पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, वाद वादी अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि, वादपत्र में उल्लेखित भूमि ग्राम निम्भी, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ के आराजी भूमि खसरा नम्बर 40 रकबा 4.4600 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 38 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाकर उन्हें तन्हा खातेदार घोषित किया जाता है -


..... (फा.ट्रेक)

(2)

क्रम सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टेयर
1.	चम्पू उर्फ सुनिता पत्नि हनुमानशरण महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर,	40/1	1.1200 है.
2.	गोविन्दशरण पुत्र गणेशनारायण महाजन सा0 झालानियों का रास्ता म. नं. 95, जयपुर,	39 40/1	0.0100 है. 1.1100 है.
3.	खेमचन्द, गुलाबचन्द, भागीरथ पिता शंकरलाल हि. 1/2, माली सा. शाहपुरा बाग, आमेर रोड, जयपुर एवं दूर्गालाल, नरेश कुमार, भगवानसहाय, मोहनलाल पिता केशरलाल हि. 1/2 जाति माली सा. रामनगर, सोडाला, जयपुर खातेदार।	38 40मी. किता 02	0.0100 है. 2.2300 है. 2.2400 है.

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवेन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज कर अंकित किया जावें। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

अन्तिम पर्चा डिक्री मेरे दस्तखत एवं मोहर से आज दिनांक 31-3-2023 को जारी की गई।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

(चिमनलाल मीना)

सहायक कलक्टर (फा.ट्रेक)
जमवारामगढ, जिला जयपुर